रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग —खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 1975/आषाढ़ 9, 1897
No. 123] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 1975/ASADHA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL.

New Delhi, the 30th June 1975

SUBJECT.—*Import Policy for the year April 1975—March 1976.*

No. 57-ITC(PN)/75.—Attention is invited to para 33 of Section I of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) for the period April 1975—March 1976, in terms of which small scale units (existing) engaged in 'Select' industries are required to submit applications under the automatic-*cum*-supplementary licensing scheme to the licensing authorities concerned on or before 31st August, 1975.

2. On a review of the position and the fact that only one application for automatic and supplementary licence is required to be made by small scale units engaged in 'select' industries in terms of the import policy for the licensing period April 1975—March 1976, it has been decided to extend the *last date upto* 31*st October*, 1975. *Applications received after* 31*st October, 1975 are liable to be summarily rejected.*

3. In terms of para 25 of Appendix 41 of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) of the period 1975-76, it has been provided that in respect of canalised items where the entitlement of a unit is Rs. 1.25 lakhs or less per annum, letter of authority may be issued in favour of the applicant with import licence in the name of canalising agency. It is clarified that this letter of authority facility will be available in all cases where the requirement of iron and steel items in any category, in any release order, is less than Rs. 1.25 lakhs in valu.

4. The provisions contained in Import Trade Control Policy Red Book (Vol I) for the period 1975-76 may be deemed to have been amended to the extent indicated above

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 वर्ष के लिये आयात नीति ।

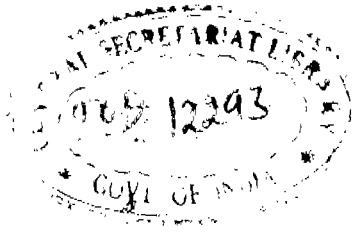
सं० 57-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक खा०-1) के खंड 1 के पैरा 33 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार "चुनिंदा" उद्योगों में लगे हुए लघु पैमाना एककों (विद्यमान) के लिए स्वत: व- सम्पूरक लाइसेन्स योजना के अधीन सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारियों को 31 अगस्त, 1975 को या इससे पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

2. स्थिति और इस तथ्य की पुनरीक्षा करने पर कि अप्रैल 1975—मार्च, 1976 लाइसेन्स अवधि के लिए आयात नीति के अनुसार 'चुनिंदा' उद्योगों में लगे हुए लघु पैमाना एककों द्वारा स्वत: और सम्पूरक लाइसेन्स के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र देना आवश्यक है, यह निश्चय किया गया है कि **अन्तिम तिथि 31–10–1975 तक बढ़ दी जाए । 31–10–75 से बाद में प्राप्त किए गए आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार किए जा सकते हैं** ।

3. 1975–76 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक खा०-1) के परिशिष्ट 41 के पैरा 25 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि सरणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में जिस मामले में एकक की हकदारी प्रतिवर्ष 1.25 लाख रुपये या इससे कम हो उसमें प्राधिकार पत्र आवेदक के नाम में सरणीबद्ध करने वाली एजेन्सी के नाम में आयात लाइसेन्स के साथ जारी किया जाए । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकार पत्र की यह सुविधा उन सभी मामलों में उपलब्ध होगी जिन में किसी भी श्रेणी की लोहा तथा इस्पात मदों की आवश्यकता मूल्य में किसी भी रिहाई आदेश में 1.25 लाख रुपये से कम हो ।

4. 1975–76 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक खा०-1) में अन्तर्विष्ट शर्तें और निर्दिष्ट की गई सीमा तक संशोधित की गई समझी जाए ।

ब० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।



P-792

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975